कार्यालय नजारत, दीवानी न्यायालय, सीतापुर।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर में निम्नलिखित ठेकों की नीलामी वर्ष 2019–2020 हेतु दिनांक **02–05–2019** को समय 4.00 बजे दिन में दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर के सभागार में की जायेगी । नीलामी खुली बोली के आधार पर होगी ।

ठेके का नाम

1. ठेका कोल्ड ड्रिंक (गवाह घर के पास)
2. ठेका फोटो ग्राफी निगेटिव से तैयार की गयी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो (मध्य गेट पूर्वी)

नियम व शर्तें

नोटिस में वर्णित सूची की दुकानों की बोली बोलने हेतु अंकन 15,000/–रू0 की जमानत राशि कार्यालय नजारत में **दिनांक 02.05.2019** समय 1.30 बजे दिन तक नकद जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे बोली में भाग लेने का हक नही होगा ।

1. बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने या पुनः बोली कराने का अन्तिम एवं पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा ।
2. ठेकेदार को बोली का 1/4 हिस्सा तुरन्त तथा शेष धनराशि नीलामी स्वीकृत के एक सप्ताह तक अवश्य जमा करना होगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और जमानत राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका पुनः होगा।
3. ठेकेदार दूकान के चारो ओर सफाई रखेगा ठेकेदार बिना अनुमति कोई निर्माण अस्थायी अथवा स्थायी नही करेगा। ठेकेदार न्यायालय परिसर में कोई मजमा आदि नही लगवा सकेगा।
4. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली अस्वीकृत कर दे।
5. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 3/एडमिन (जी) /दिनांकित इलाहाबाद 16.2.2009 के अनुपालन मे निगेटिव से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तैयार होंगे।(केवल फोटो ग्राफी हेतु)
6. ठेकेदार न्यायालय परिसर में कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा तथा खान पान की वस्तु तैयार करने में उत्तम सामग्री का उपयोग करेगा कोई भी ऐसी वस्तु का विक्रय नहीं करेगा जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।
7. ठेकेदार दुकान पर बिक्री की जा रही वस्तुओं की मूल्य सूची को दीवाल पर चस्पा करेगा तथा खुदरा मूल्य से अधिक पर वस्तु का विक्रय नहीं करेंगा।
8. ठेकेदार खान पान की वस्तुओं को ढ़ककर रखेगा।
9. ठेका अवधि समाप्त होने के उपरान्त ठेके का कब्जा सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त प्रदान करना होगा अन्यत्र स्थिति में उससे 10,000/– रू0 प्रति माह की धनराशि वसूल की जायेगी।
10. बोली में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड/ पैन कार्ड आदि की फोटो प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन एवं बिना कारण बताये ठेके को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उपरोक्त शर्तो से यदि कोई व्यक्ति सहमत हो तो वह उपरोक्त वर्णित दिनांक व समय पर नीलामी में भग लेने हेतु उपस्थित हो सकता है।

26/4/19

अध्यक्ष नीलामी समिति
प्रभारी अधिकारी नजारत
जनपद न्यायालय, सीतापुर